RAJYA SABHA

Monday, the 22nd December, 2003/1 *Pausa,* 1925 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,

THE DEPUTY CHAIRMAN IN THE CHAIR.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

निर्धनों को मुफ्त कानूनी सहायता

†* 281. **श्री अभय कांत प्रसाद :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) 'निर्धनों को मुफ्त कानूनी सहायता' सुविधा के अंतर्गत देश में निर्धन लोगों को उपलब्ध कराये जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है,

(ख) गत चार वर्षो के दौरान झारखंड में कितने लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई है ।

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कानूनी सहायता की सीमा को बढ़ाने का विचार रखती है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रचारित विधिक सहायता कार्यक्रमों और स्कीमों के , जिनके अतंर्गत निर्धन व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता के लिए उपबंध भी है, क्रियान्वयन के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को , जिसमें उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा गैर-सरकारी संगठन भी सम्मिलित है , विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 4 की उपधारा (ग) और उपधारा (ञ) के निबंधनों में वित्तीय वर्ष के आधार पर निधियों का आवंटन करता है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान । अप्रैल, 2003 से 30 नवबर, 2003 की अवधि में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अभी तक 2,42,80,000 रूपए की निधियां आवंटित की गई हैं । चालू वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को कोई निधि आवंटित नहीं की है। तथापि, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान आवंटित 10 लाख रूपए की अनुपयोजित निधियों को अग्रनीत करके चालू वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान उपयोजित करने की अनुज्ञा दी गई थी।

(ख) झारखड में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने फरवरी, 2002 से कार्य करना आरंभ कर दिया था। ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें राज्य में निःशुल्क विधिक सहायता दी गई थी, निम्नानुसार हैः-

वित्तीय वर्ष	विधिक सहायता का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या
2001-02	शून्य
2002-03	203
2003 -04 (30.11.2003 तक)	454

(ग) और (घ) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 की धारा 12 के अधीन ऐसा प्रत्येक व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र हैं, जिसकी वार्षिक आय 9,000 रूपए से कम हैं जब मामला उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष हो । मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष होने की दशा में यह सीमा 12,000 रूपए हैं।

इस आय सीमा को, यथास्थिति, केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों, महिलाओं, बालाकों, असुविधाग्रस्त व्यक्तियों की दशा में आय संबंधी यह सीमा लागू नहीं होती । तारीख 12 सितम्बर, 1998 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में हुई राज्य विधिक सेवा **प्राधिकरणो** की वार्षिक बैठक में आम सहमति से यह सकल्प किया गया था कि उच्च न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष मामलों के लिए प्रत्येक राज्य में न्यूनतम आय की सीमा को बढ़ाकर 25,000 रूपए कर दिया जाना चाहिए **और** उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों के लिए वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 50,000 रूपए कर दिया जाना चाहिए । तदनुसार, सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों के लिए वार्षिक अधिकतम आय सीमा को बढ़ाकर 50,000/- रू कर दिया है। अरूणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, पश्चिम बंगाल, दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव तथा लक्षद्वीप के अलावा अन्य राज्यों में आय की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया **गया** है । झारखंड में आय की अधिकतम सीमा 25,000 रूपए हैं ।

Free legal aid to poor

†*281. SHRI ABHAY KANT PRASAD: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) the details of the amount proposed to be provided to the poor people in the country under the facility of 'Free legal aid to poor';

†Original notice of the question was received in Hindi

(b) the number of people in Jharkhand to whom free legal aid has been provided during the last four years;

(c) whether Government propose to increase the limit of legal aid in this regard; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN JAITLEY): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) In terms of sub-sections (c) and (j) of Section 4 of the Legal Services Authorities Act, 1987, the National Legal Services Authority (NALSA) allocates funds, on financial year basis, to the State Legal Services Authorities, including Supreme Court Legal Services Committee and Non-Governmental Organizations for implementation of legal aid programmes and schemes propagated by NALSA which include provision for free legal assistance to the poor. During the current financial year starting from 1st April 2003 to 30th November, 2003, funds amounting to Rs. 2,42,80,000/- have been allocated by NALSA so far No fund has been allocated by NALSA to Jharkhand State Legal Services Authority during the current financial year 2003-04. However, they were permitted by the competent Authority to carry over of the unutilized funds of Rs. 10 lacs allotted during the year 2002-03 to be utilized in the current financial year 2003-04.

(b) State Legal Services Authority in Jharkhand had started functioning from February 2002. The number of persons given free legal aid in the state is as under:-

Financial Year	Number of Legal Aid Beneficiaries
2001-2002	NIL
2002-03	203
2003-04 (upto 30.11.2003)	454

(c) and (d) Under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987, every person whose annual income does not exceed Rs. 9,000 is eligible for free legal aid in cases coming before High Courts and Courts subordinate thereto. In cases before the Supreme Court, the limit has been Rs. 12,000/-. This limit can be enhanced by the Central/State Government, as the case may be. Limitation as to the income does not apply in cases of persons belonging to the scheduled castes, scheduled tribes, women, children, handicapped etc. At the first annual meet of the State Legal Services Authorities held under the aegis of the NALSA on 12th September, 1998 at New Delhi, it was unanimously resolved that for cases before High Courts and Courts subordinate thereto, the minimum income ceiling in every State should be raised to Rs. 25,000/- per annum and for the cases before the Supreme Court of India, it should be raised to Rs. 50,000/- per annum. Accordingly, the Government has enhanced the annual income ceiling to Rs. 50,000/- for the cases before the Supreme Court. Barring, Arunachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Meghalaya, West Bengal, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu and Lakshadweep, the income ceiling limit has since been enhanced. The income ceiling limit in Jharkhand is Rs. 25,000/-.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I suppose, the fog has descended on the House also; many people haven't come today.

श्री अभय कांत प्रसाद : माननीय उपसभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही उत्साहपूर्वक इस प्रश्न का उत्तर दिया है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है तथा हमारे सविंधान के अनुसार सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं । लेकिन अशिक्षा तथा गरीबी के कारण काफी लोगों को अपने कानूनी अधिकारों को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है खासकर इसकी समस्या झारखंड के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अधिक है । वहां पर गरीब आदिवासी आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है। किसी भी कमजोर व्यक्ति के मन में अपने विरोधी पक्ष के शक्तिशाली होने के कारण और समानता की लड़ाई में अपना उचित हक न मिल पाने के कारण आंशका बनी रहती है। इसी असमानता की भावना को समाप्त करने के लिए संविधान की धारा 39(ए) में समानता और सुरक्षा की भावना का प्रावधान किया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसको कार्यन्वित करने के लिए झारखंड में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री अरूण जेटली : माननीय उपसभापति महोदया, यह प्रश्न भी लीगल एड के संबंध में हैं और जिन लोगों में इस प्रकार की असुरक्षा की भावना है या साधनों का अभाव है उनके लिए इस कानून

के तहत योजनाएं बनी हुई है और उन योजनाओं के तहत उनको फ्री लीगल एंड देने का प्रावधान है इसमें आमदनी और आय की एक सीमा है और जो उस सीमा से नीचे हैं, उनको फ्री में लीगल एड मिल सकती है। इस प्रकार की दूसरी कैटागरीज भी है जहां पर सेमी फ्री लीगल एड वगैरह मिल सकती है । हर अदालत के साथ-हाई कोर्ट में और निचली अदालत, सार्बोडीनेट कोर्ट्स के साथ भी इस प्रकार के लीगल एड क्लीनिक्स इस एक्ट के तहत फंक्शन कर रहे हैं और यह प्रावधान झारखंड राज्य के अंदर भी है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभापति महोदया, मैं मत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रावधान तो सारे रखे गए हैं और फंड भी दिया जाता है किन्तु जो गरीब एवं अशिक्षित लोग हैं, उनको ऐजुकेट करने के लिए, कि यह सुविधा उपलब्ध है, उसके लिए आज तक झारखंड में कितने कैम्प लगाए गए और किस लैवल के लगते हैं? दूसरा, नालसा के लिए जो वकील नियुक्त किए जाते हैं, जो लीगल एड देते हैं- जो गरीब जनता होती है वह जमींदारों से त्रसित होती है या लैंडलॉर्ड्स के द्वारा त्रसित होती है जिनके पास बड़े-बड़े वकील होते हैं – इन गरीबों के लिए जो नालसा के वकील खड़े होते हैं, क्या वे पूरी तरह उनके साथ इस कानूनी लड़ाई को लड़ने में मजबूत साबित होते हैं, यह जानने की मेरी इच्छा है।

श्री अरूण जेटली : माननीय महोदया, झारखंड के अदंर इस प्रकार के कितने कैम्प लगाए गए, उसकी ऐक्जेक्ट जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, वह जानकारी मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा । लेकिन इस एक्ट के तहत दो प्रकार की गतिविधियां हैं जो काफी सक्रिय रूप से होती है । 1987 में यह एक्ट बनाया गया था और सन् 88 से इसको पूरे रूप से कार्यान्वित किया गया था । तब से लेकर आज तक देशभर में, जहां तक लोक अदालत का संबंध है, लगभग 1 लाख 80 हजार से ज्यादा लोक अदालतें लग चुकी हैं और पूरे देश में 1 करोड़ 55 लाख मुकदमें ऐसे हैं जो इन लोक अदालतों ने रिजॉल्व किए हैं । इसलिए यह आकंड़ा बहुत बड़ा है, पिछले 14-15 वर्ष में 1 करोड़ 55 लाख के करीब मुकदमें रिजॉल्व किए हैं, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अपने आप में काफी सक्रिय मूवमेंट बन चुका है । इसका दूसरा पहलू लीगल एड का है। इसके तहत देश में 55 लाख से अधिक लोगों को लीगल एड दी जा चुकी है। इस प्रकार काफी बड़े पैमाने पर हर हाई कोर्ट के साथ, हर जिले में इसकी एक्टिविटीज चलती है। झारखंड में इसके कितने क्लीनिक लगे हैं, इसकी जानकारी मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा ।

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: Madam, the hon. Minister will agree that the primary objective of this law, namely, the National Legal Aid Services Authority Act, 1987, is to provide speedy and inexpensive justice to the under-privileged sections of the society, women and children. But, Madam, if we look back to the history right from Bhagwati's Report and

later on to the then Chief Justice Ranganath Misra's and other judges efforts, this movement of legal aid has staggered. It has not made that impact in the society, as it was expected to make. Will the hon. Minister review the functioning of the National Legal Aid Services Act? According to my information, it is almost under the control of a few judges only and it has not spread to the members of the Bar Council and the Bar Associations. Unless this movement spreads right to the *taluqa* level and remote areas, like the tribal areas, the purpose of this Act will not be achieved. So, I have very high hopes that the hon. Minister will apply his mind for a future vision of the National Legal Aid movement. I would hasten to add that I went to England, where I found that the legal aid movement is much more spread, although it is a very different kind of society. In America, it is still more spread. As a modern country, we would like to give more impetus to the legal aid to help the under-privileged sections of the society.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I am very grateful to the hon. Member for having added the necessary impetus that is required, as far as the legal aid movement is concerned. The hon. Member is very right that under this Act, the entire apparatus has certainly driven by the judicial institutions. There are also a very large number of lawyers and State Governments in places who are also involved in this. Now, it entirely depends on the kind of initiative taken by the people, who in a given State are in control of this apparatus and are responsible for it. For instance, the hon. Member is very right, I have been to some States where the legal aid offices are not only functioning very effectively but because people come from far-flung places to ask for justice, there are States where they open it for 24 hours, even in the middle of the night, people are available, who would sit there by turn and give them help. But there also places where it becomes a little bureaucratic, as they start functioning in routine. As and when these instances come to notice, we are bringing them to the notice of the concerned authorities. If the hon. Member, or, any other hon. Member has such instances in mind, or some suggestions, we will certainly, look into those for improving upon this institution.

डा. कुमकुम राय : उपसभापति महोदय, मंत्री जी ने बतलाया कि 2003 में अप्रैल से लेकर 30 नवबर तक 2 करोड़ 42 लाख 80,000 रूपए की निधियां आवंटित की गई हैं। इस तरह सालाना

जो निधियां आवटित की जाती है तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना है कि महिलाओं और बच्चों पर जो अत्याचार होते हैं, तो **प्रधिकतर** महिलाओं को तो यह जानकारी नहीं होती है । यदि जिनको जानकारी होती भी है तो उस प्रक्रिया की सही जानकारी न होने के कारण और यह निश्चित न हो पाने के कारण कि उन्हें न्याय व्यवस्था से लड़ने के लिए निशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, क्या इस राशि में कोई प्रावधान महिलाओं के लिए अलग से किया जाता है, यह मेरे प्रश्न का "क" भाग हैं । मेरे प्रश्न का "ख" भाग यह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों का पूरे देश में नेटवर्क हैं और महिला आयोगों के पास सामान्य वर्ग से लेकर, मध्य वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक तमाम समस्याएं आती है । तो महिला आयोगों के साथ कोई ऐसा समन्वय, कोई को ऑर्डिनेशन करने की क्या कोई व्यवस्था है या ऐसा करने के बारे में आप सोच रहे हैं ताकि महिला आयोग राज्य स्तर से या राष्ट्रीय स्तर से कुछ ऐसे कैसेज इस प्राधिकरण को प्रत्यक्ष रूप से भेज सके और उन्हें मुफ्त कानूनी मदद और न्याय मिल सके?

श्री अरूण जेटली : उपसभापति जी, जहां तक इसकी बजटरी ग्राटंस और एलोकेशन्स हैं वे नेशनल लीगल सर्विसेज अथोरिटीज को केन्द्रीय सरकार दे देती है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथोरिटीज की हर राज्य में स्टेट लेवल अथोरिटीज हैं, उनको कितने धन की आवश्यकता है, वे इसका आगे वितरण करती है। इसमें स्टेट लीगल अथोरिटीज किसी प्रकार से आगे स्पेंड करती है, किस प्रकार से अपना बजट व्य**य** करती हैं....

डा. कुमकुम राय : आप इसमें ऐसा बना दीजिए कि महिलाओं के लिए एक अलग से फंड हो।

उपसभापति : आप बात सुन लीजिए ।

श्री अरूण जेटली : उसके ऊपर निर्भर करता है। जहां तक महिलाओं का संबंध है, बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी महिलाएं हैं जो इस अथोरिटी के पास आती है। हर राज्य में आती है, और जिले के अंदर आती है। उनको इस अथोरिटी से अलग से सहायता मिलती है और जो फंड का हिस्सा है – जो उस अथोरिटी को इस्टैब्लिश करने में, उसके प्रशासनिक खर्चे में और जो वकील होते हैं कई बार उनके लिए खर्च होता है – उनके लिए व्यय होता है। ऐसे कोई उदाहरण सामने नहीं आ रहे हैं कि महिलाएं इस अथोरिटी के पास गई हों,और उनको किसी ने सहायता देने से इनकार किया हो । अगर हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत आती है तो निश्चित रूप से हम उसको देखेंगे । जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है कि किस प्रकार उसका समन्वय हो सकता है और यह होता भी है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं चाहे वे पारिवारिक झगड़ों की वजह से हों, चाहे किसी सा**मा**जिक बुराई की वजह से हों तो काउंसिलिंग इंस्टियुशन्स हैं वे इसी के तहत बनते हैं, उनके पास भी भेजा जाता है औ**र** इस अथारिटी के पास भी भेजा जाता है । अब हमने एक और प्रावधान कर दिया है कि देश के हर राज्य में, हर एक जिले में जो पांच फास्ट ट्रैंक कोर्ट बनाए थे उनमें राज्यों

के हाई कोट्र्स को और स्टेट गवर्नमेंट को यह रिक्वेस्ट की और कई राज्यों ने उसको कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया है। उनमें से एक ऐसी हो जो महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों का स्पीड़ी डिस्पोजल करे।

श्री प्रेम गुप्ता : मैडम, पिछले कुछ सालों से कोर्टो में पेंडिंग केस बढते जा रहे हैं। आप असहाय लोगो को जो लीगल एड दिलवाते हैं उसका क्या फायदा है। तीन-तीन जनरेशन्स से केसेज पेंडिंग चल रहे हैं। मैडम, तीन-तीन जनरेशन्स से। ग्राड फादर के केसेज को ग्राड सन भुगत रहा है। तो आप क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते कि इन केसों की डिस्पोजल भी हो। आप कुछ लीगल एड दिलवा रहे हैं, वह ठीक है लेकिन That is not the solution. The problem is somewhere else, तो इस बारे में आप क्या कर रहे हैं?

श्री अरूण जेटली : मैडम, जैसा माननीय सदस्य ने कहा तो दुर्भाग्य से कुछ केस बहुत अधिक समय तक चलते हैं, इस प्रकार के उदाहरण भी हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को इसका दूसरा पक्ष भी बता दू कि भारत में अन्य देशों की तुलना में अदालतों के सामने मुकदमें डालने की जो प्रक्रिया है, वह भी बहुत तेज है। लगभग डेढ़ करोड़ मुकदमें हर साल यहां पर दायर होते हैं, और लगभग डेढ़ करोड़ मुकदमें ही यहां पर डिसपोज आफॅ होते हैं। किसी भी समय पर, दो करोड़ के करीब मुकदमें हैं मैं यह सर्बोर्डिनेट कोट्र्स के बारे में कह रहा हूं, जो अदालतों के सामने पेडिंग रहते हैं। यह जो धारणा है कि न्यायापालिका में कुछ नहीं होता है, जितने लगभग इस्टीट्यूट्स होतै हैं उतने ही डिस्पोज आफ हो जाते हैं और वे दो करोड़ जो अदालत के सामने हर साल किसी भी समय पर दो करोड़ पेंडिंग है वे बदलते रहते हैं। इनका निपटारा करने के लिए कई कदम सरकार ने भी उठाए हैं और न्यायापालिका भी इसको जल्दी से कार्यान्वित करने के लिए कई प्रकार से आदेश देती है। मैं उन सब कारणों में नहीं जाता जो कदम हम लोगों ने उठाए हैं। लेकिन यह धारणा भी अब लोगों की बन रही हैं कि अदालतों की सख्या और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया है, उसको भी अब बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि राज्यों के ऊपर एक फाइर्नेशियल बर्डन है, उसके ऊपर एक कठिनाई आई हुई हैं लेकिन किसी समय पर उसकी संख्या बढ़ाना ताकि ये जो दो करोड़ बने रहते हैं उनकी पेंडेंसी भी अपने आप में जल्दी समाप्त हो, इसकी आवश्यकता है।

उपसभापति : इस पर विस्तार से डिसकसन हो गया है। वी केन मूव दि सैकेंड क्वेश्चन।

New Zealand-Indo Trade Committee

*282. SHRI B. J. PANDA: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that New Zealand-Indo Trade Committee has met in Delhi last October to boost trade in both the countries; and